



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक- /2014/निगरानी R 3836-III/14

श्री एस. एल. खान अ.प्र.
द्वारा आज 18/11/14 को
प्रस्तुत

वकील
मलक ऑफिस, 18/11/14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. प्रहलाद पुत्र श्री ब्रदी सिंह धाकड़,
उम्र-55 वर्ष, व्यवसाय-कृषि
2. बालचन्द्र पुत्र श्री ब्रदी सिंह धाकड़
निवासीगण-ग्राम सतनबाड़ा, जिला
शिवपुरी (म०प्र०)

-----आवेदकगण

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टरी
जिला शिवपुरी (म०प्र०)

-----अनावेदक

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व
संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 30.11.2014 पारित
न्यायालय अपर तहसील परगना शिवपुरी म०प्र० प्रकरण
क्रमांक-2/14-15/अ-68

माननीय न्यायालय,

आवेदकगणों की ओर से निगरानी निम्न प्रकार

प्रस्तुत हैं:-

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य:-

- 1- यहकि, ग्राम सतनबाड़ा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक-830,
833, 834, 854, 855, 856 के भूमि स्वामी
आवेदकगण के स्व०बाबा एवं पिता के स्वत्व, स्वामित्व
एवं आधिपत्य की थी।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-निगरानी-3830-तीन/2014

जिला-शिवपुरी

प्रहलाद धाकड़ व अन्य विरुद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर तहसीलदार तहसील परगना, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 2/2014-15/अ-68 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 11-09-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे0के0 जैन) सदस्य</p>